जर्ये ई–मेल

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी (राजस्थान)

क्रमांक : स्था0/2024/95 दिनांक : 29.11.2024

संशोधित आदेश

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक : स्था0/2024/92 दिनांक 25.11.2024 के अनुसार **दिनांक 01 दिसम्बर, 2024** के राजपत्रित अवकाश में जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड, प्रोटोकॉल व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य सम्पादित करने हेतु **श्रीमती यशस्वी शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–2, बून्दी** की तथा **दिनांक 08 दिसम्बर, 2024** के राजपत्रित अवकाश में जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड, प्रोटोकॉल व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य सम्पादित करने हेतु **श्री हनुमान सहाय मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट इन्द्रगढ़ जिला बून्दी** की ड्यूटी लगाई गई थी। जिसमें प्रशासनिक कारणों से आंशिक संशोधन करते हुये **दिनांक 01 दिसम्बर, 2024** के राजपत्रित अवकाश में जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड, प्रोटोकॉल व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य सम्पादित करने हेतु **श्री हनुमान सहाय मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट इन्द्रगढ़ जिला बून्दी** की तथा **दिनांक 08 दिसम्बर, 2024** के राजपत्रित अवकाश में जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड, प्रोटोकॉल व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य सम्पादित करने हेतु **श्रीमती यशस्वी शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–2, बून्दी** की ड्यूटी लगाई जाती है।

श्री हनुमान सहाय मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट इन्द्रगढ़ जिला बून्दी व श्रीमती यशस्वी शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–2, बून्दी क्रमशः निर्धारित दिनांक 01 दिसम्बर, 2024 व 08 दिसम्बर, 2024 को मुख्यालय पर उपस्थित रहकर प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक अपने न्यायालय में बैठकर एवं आगामी कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक मुख्यालय पर रहकर जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड, प्रोटोकॉल व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य सम्पादित करेंगे। शेष रिमाण्ड डयूटी आदेश दिनांकित 25.11.2024 पूर्ववत लागू होगा :–

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बून्दी (राजस्थान)

क्रमांक : सामान्य/2024/3792 – 3799 दिनांक : 29.11.2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

(1) श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बून्दी.
(2) जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि सभी आरक्षी केन्द्रों के थानाधिकारियों को जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यो के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुँचना सुनिश्चित करें।
(3) संबंधित पीठासीन अधिकारी.............
(4) जिला आबकारी अधिकारी, बून्दी को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन कार्यरत वृत्त निरीक्षक, प्रहराधिकारी, भारसाधक अधिकारी, आबकारी थाना को जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यो के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुँचना सुनिश्चित करें।
(5) पुलिस कंट्रोल रूम/ए.डी.पी. ऑफिस बून्दी (6) उपाधीक्षक, जिला कारागृह, बून्दी
(7) अध्यक्ष, अभिभाषक परिषद, बून्दी.
(8) सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा,बून्दी को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि वह इस मैसेज को जिला न्यायालय की वेब साईट पर अपलोड करें।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बून्दी (राजस्थान)